

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक: प.5(38)प्रा.शि/2019

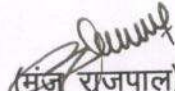
जयपुर, दिनांक: 9 DEC 2019

परिपत्र

प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता एवं उत्तरोत्तर वृद्धि के लिये समय-समय पर शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किये जाते रहे हैं। शैक्षिक गुणवत्ता के लिये विद्यालयों/कार्यालयों में कार्मिकों की निरन्तर उपस्थिति अनिवार्य है। विशेषकर विद्यालयों में शिक्षकों के स्वैच्छा से लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने से शैक्षिक गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसमें सुधार हेतु निदेशालय स्तर से भी कार्मिकों की निरन्तर उपस्थिति के सम्बन्ध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे हैं।

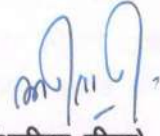
राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अध्याय 10 एवं 11 में वर्तमान में प्रचलित नियम 57 से 126 के अनुसार राजकीय कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत कराकर ही प्रस्थान करने का प्रावधान है। अतः राजकीय कार्यालयों में कार्यरत समस्त कार्मिकों को किसी भी प्रकार के अवकाश पर जाने से पूर्व उक्त प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेकर अथवा अवकाश स्वीकृत कराकर ही अवकाश पर प्रस्थान किया जाना चाहिये। इसी प्रकार नियम, 23(2) के अनुसार कार्मिक स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पश्चात् कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है या अवकाश के बिना या आवेदित अवकाश सक्षम प्राधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाने से पूर्व कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। ऐसे अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध **राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 86 एवं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958** के नियम 16 व 17 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अवकाश से लौटने पर नियमों में कार्मिक को कार्यग्रहण करने से मना करने का कोई प्रावधान नहीं है। स्वैच्छा से अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध नियुक्ति प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कोई भी कार्यवाही यथासमय न कर कार्मिक के पुनः कार्यग्रहण हेतु उपस्थित होने पर प्रकरण राज्य सरकार को मार्गदर्शन हेतु प्रेषित किये जाने का प्रावधान नियम में नहीं है।

अतः नियमों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई कार्मिक स्वैच्छा से अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सूचना अविलम्ब सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियुक्ति अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी को दी जायें। नियुक्ति अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वैच्छा से अनुपस्थित कार्मिक के विरुद्ध राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 86 एवं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 एवं 17 में कार्यवाही सम्पादित की जायें। यदि नियुक्ति अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जानकारी के उपरान्त भी स्वैच्छा से अनुपस्थित कार्मिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने को विभाग द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा।


(मंजू राजपाल)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट सचिव, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1, 2, 5, प्राशि, प्राशि(आयो.) विभाग।
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान राज्य स्टेट ऑपन स्कूल, जयपुर।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ राजस्थान, अजमेर।
9. निदेशक, सतत् शिक्षा एवं साक्षरता, जयपुर।
10. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, उदयपुर।
11. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
13. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त।
14. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा), समस्त।
15. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
16. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
17. रक्षित पत्रावली।



(अनीता मीना)

शासन उप सचिव